चौदहवें सत्र में लोक सभा की उत्पादकता 74 प्रतिशत रही: लोक सभा अध्यक्ष

...

लोक सभा के चौदहवें सत्र के दौरान 14 बैठकें हुईं, जो 61 घंटे और 50 मिनट तक चलीं : लोक सभा अध्यक्ष

...

सत्र के दौरान लोक सभा में 12 सरकारी विधेयक पेश किये गये और 18 विधेयक पारित किये गये : लोक सभा अध्यक्ष

...

सत्र के दौरान अविलंबनीय लोक महत्व के 182 मामले उठाए गए: लोक सभा अध्यक्ष

...

लोक सभा की विभागों से संबंधित स्थायी समितियों ने 35 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए: लोक सभा अध्यक्ष

...

17वीं लोक सभा का चौदहवां सत्र सम्पन्न हुआ

...

नई दिल्ली, 21 दिसंबर, 2023: 17वीं लोक सभा का चौदहवाँ सत्र, जो 4 दिसंबर, 2023 को शुरू हुआ था, आज सम्पन्न हुआ।

लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने अपने विदाई भाषण में सदन के कार्यों के संबंध में जानकारी देते हुए सदस्यों को सूचित किया कि 4 दिसंबर, 2023 को शुरू हुए सत्र के दौरान 14 बैठकें हुई जो लगभग 61 घंटे 50 मिनट तक चली।

श्री बिरला ने यह भी बताया कि लोक सभा के चौदहवें सत्र के दौरान सदन की उत्पादकता 74 प्रतिशत रही ।

श्री बिरला ने यह जानकारी भी दी कि सत्र के दौरान 12 सरकारी विधेयक पुरःस्थापित किये गये और 18 विधेयक पारित किये गये। सत्र के दौरान सदन द्वारा पारित कुछ महत्वपूर्ण विधेयक इस प्रकार थे:

(i) भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता , 2023;

(ii) भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता , 2023;

(iii) भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) विधेयक, 2023;

(iv) केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2023; और

(v) दूरसंचार विधेयक, 2023

वर्ष 2023 -24 के लिए अनुदानों की पूरक मांगों को तथा वर्ष 2020-21 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगों को मतदान के उपरांत पारित किया गया।

श्री बिरला ने बताया कि सत्र के दौरान 55 तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए गए और नियम 377 के अधीन कुल 265 मामले उठाए गए।

सत्र के दौरान अविलंबनीय लोक महत्व के 182 मामले उठाए गए।

अध्यक्ष ने सदन का ध्यान इस ओर दिलाया कि लोक सभा की विभागों से संबंधित स्थायी समितियों ने 35 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए। निदेश 73क के अधीन 33 वक्तव्य दिए गए और संसदीय कार्य के संबंध में संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दिए गए तीन वक्तव्यों सहित कुल 34 वक्तव्य दिए गए।

श्री बिरला ने यह भी बताया कि सत्र के दौरान कुल 1930 दस्तावेज़ सभा के पटल पर रखे गए।